



**THE SUPERINTENDENT OF POLICE HQs.-CUM-APPELLATE AUTHORITY-,
UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005.**

Order on First Appeal u/s 19 RTI Act.

यह आदेश, श्री धीरजकुमार भिल्याभाई पाटीदार, निवासी बी-28, कालिकुण्ड नगर सोसाइटी, बी.एच. वैभव सिनेमा बकरोल, जिला आनंद, गुजरात, पिन कोड-388315 की आरटीआई अपील पंजीकरण संख्या पीओडीईपी/आ/ई/20/00025 दिनांक 11.05.2020 पर जारी किया गया है। उन्होंने 06.05.2020 की ऑनलाइन आरटीआई पंजीकरण संख्या पीओडीईपी/आ/ई/20/00153 को सीपीआईओ/ पीएचक्यू द्वारा निपटान के खिलाफ यह अपील दायर की है।

2. अपीलकर्ता ने RTI application dated 06.05.2020, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत नोडल अधिकारी / पीएचक्यू से अनुरोध किया था कि वह मोबाइल लोकेशन और डेटा प्राप्त करने के लिए कुछ जानकारी मुहैया कराए, अगर पुलिस द्वारा झूठा मामला दर्ज किया जाए। नोडल अधिकारी ने सीपीआईओ / पीएचक्यू को आवेदन हस्तांतरित कर दिया था जिन्होंने 11.05.2020 को आरटीआई आवेदन का ऑनलाइन निस्तारण किया था।

3. अपीलकर्ता, सीपीआईओ / पीएचक्यू द्वारा जिस तरह से उसके आवेदन का निपटारा किया गया, उससे संतुष्ट नहीं है और तत्काल अपील दायर कर आरोप लगाया है कि उसे जानकारी प्रदान नहीं की गयी है।

4. DSP-cum-CPIO/मुख्यालय की टिप्पणियों के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी प्रश्नवाचक रूप में थी जो आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं आती है। केवल इस तरह की जानकारी अधिनियम के तहत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से मौजूद है और सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में आयोजित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी को सूचना बनाने या जानकारी की व्याख्या करने या आवेदकों द्वारा उठाए गए समस्याओं को हल करने या काल्पनिक सवालों के जवाब देने के लिए नहीं माना जाता है।

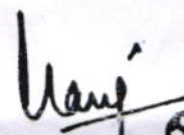
5. अब order नंबर 2512-50 / UT / HAC दिनांक 18.05.2020 के तहत CPIO/PHQ. के अपीलीय प्राधिकार को एसपी/मुख्यालय, यूटी, चंडीगढ़ से बदल कर SSP/UT, Chandigarh कर दिया गया है। लेकिन आपकी आरटीआई की अपील पहले से ही प्रक्रियाधीन थी, इसलिए यह अधोहस्ताक्षरी यानी एसपी / मुख्यालय के द्वारा निस्तारण की जाती है। मैंने आरटीआई अपील, सीपीआईओ/पीएचक्यू द्वारा आरटीआई आवेदन और टिप्पणियों के तथ्यों के माध्यम को गौर से पढ़ लिया है। अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी, CPIO द्वारा दी गई जानकारी, अपीलार्थी की शिकायत और अधोहस्ताक्षरी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश/निर्णय नीचे दिए गए हैं:

आरटीआई आवेदन में मांगी गई जानकारी	CPIO द्वारा दी गई जानकारी	पहली अपील में उठाया गया शिकायत	प्रथम अपीलार्थी प्राधिकरण का निर्णय।
पुलिस विभाग के द्वारा झूठा मुकदमा (FIR) दर्ज किया हो तो पीड़ित के स्वयं (व्यक्तिगत) के मोबाइल लोकेशन डेटा (निश्चित अवधि/दिन) के चाहिए तो क्या मिल सकते हैं। किस नियम	इस संबंध में आपको यह सूचित किया जाता है कि अधिनियम के तहत केवल ऐसी जानकारी की आपूर्ति की जा सकती है, जो पहले से मौजूद है और सार्वजनिक प्राधिकारी के	RTI के मूल आवेदन में मांगी गई जानकारी को समस्याओं या काल्पनिक सवालों के दायरे में बता कर जवाब नहीं दिया गया है, जिसके कारण प्रथम अपील दायर की जा रही	अधोहस्ताक्षरी CPIO से सहमत है। मांगी गई जानकारी आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एफ) में परिभाषित जानकारी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। CPIO आवेदक / अपीलार्थी

के तहत मिलते हैं।	पास है। जन सूचना अधिकारी को सूचना बनाने या जानकारी की व्याख्या करने या आवेदकों द्वारा उठाए गए समस्याओं को हल करने या काल्पनिक सवालों के जवाब प्रस्तुत करने के लिए नहीं माना जाता है। इसके साथ ही, इस कार्यालय से संबंधित, आपके वर्तमान आरटीआई आवेदन का निपटारा होता है।	है।	के लिए सूचना निर्मित करने के लिए बाध्य नहीं है। सीपीआईओ केवल उसके लिए उपलब्ध जानकारी जैसे कि फाइल, दस्तावेज, सीडी, परिपत्र, आदेश या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में, की आपूर्ति कर सकता है, जैसा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एफ) में परिभाषित किया गया है।
-------------------	---	-----	--

इसी के साथ ही अपील का निपटारा किया जाता है।

अपीलकर्ता, यदि उपरोक्त तरीके से अपील के निपटान से संतुष्ट नहीं है, तो 90 दिनों की अवधि के भीतर माननीय मुख्य सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनरिका, नई दिल्ली - 110067 के पास दूसरी अपील दायर कर सकते हैं।


Manoj Kumar Meena, IPS
Superintendent of Police, HQs.,
-cum-Appellate Authority,
U.T., Chandigarh.

श्री धीरजकुमार भिल्याभाई पाटीदार,
निवासी बी-28, कालिकुण्ड नगर सोसाइटी,
बी.एच. वैभव सिनेमा बकरोल, जिला आनंद,
गुजरात, पिन कोड-388315

No. D- 10/4-16 /RTI/SP/HQs. dated Chandigarh, the: - 06/06/2020

Copies to the: -

1. DSP-cum-CPIO/PHQ for necessary action.
2. I/C Computer Section for updating the Web.